

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.10.2024 को वादिनी मुकदमा की तहरीर पर थाना बेहटा मुजावर पर मु0अ0सं0 290/2024 धारा 74/85/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट का 1.अर्पित सिंह पुत्र प्रदीप नारायण सिंह (पति), 2.प्रदीप नारायण सिंह पुत्र अज्ञात (ससुर), 3.निर्मला सिंह पत्नी प्रदीप नारायण (सास), 4.अंकित पुत्र प्रदीप नारायण (देवर) निवासी गण कटियामऊ रैसो थाना कछौना जिला हरदोई के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता का मेडिकल व बयान माननीय के समक्ष कराये गये। पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64/127(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अंकित उर्फ दीपान्कर ठाकुर पुत्र प्रदीप नारायण सिंह नि0 कटियामऊ रैसो थाना कछौना हरदोई को आज दिनांक 27.12.2024 को मटुकरी चौराहे से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अंकित उर्फ दीपान्कर ठाकुर पुत्र प्रदीप नारायण सिंह नि0 कटियामऊ रैसो थाना कछौना हरदोई ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मोर मुकुट पाण्डेय
2. का0 लोकेन्द्र





प्रेस नोट - दिनांक 27.12.2024

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव ।



वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 27.12.2024 को उ0नि0 अशोक कुमार व हे0का0 अमर सिंह द्वारा वारण्टी अभियुक्त लाला पुत्र गंगाराम उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम करीमाबाद गुमरिहा ददलहा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव संबन्धित वाद संख्या 8414/2022 अ0सं0 120/22 धारा 323/336/504/506 भा0द0वि0 को ग्राम करीमाबाद से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

लाला पुत्र गंगाराम उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम करीमाबाद गुमरिहा ददलहा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 श्री अशोक कुमार सरोज
हे0का0 अमर सिंह





प्रेस नोट - दिनांक 27.12.2024

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।



पेमेन्ट एप के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई संपूर्ण धनराशि पीड़ित को कराई गई रिफण्ड

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा पेमेन्ट एप के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई 9,380/- रु0 की संपूर्ण धनराशि पीड़ित के खाते में रिफण्ड कराई गई।

संक्षिप्त विवरण- पीड़ित भूपेन्द्र मिश्रा निवासी कब्बाखेडा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा साइबर पोर्टल पर आनलाइन प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 28.08.2024 को फोन पे के माध्यम से 9,380 /- रु0 का फ्राड होने विषयक दिया गया था । जिस पर थाना कोतवाली उन्नाव की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गयी 9,380 /- रु0 की संपूर्ण धनराशि पीड़ित को रिफण्ड करायी ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.अपराध निरीक्षक राजेश यादव
- 2.व0उ0नि0 बृजेश कुमार यादव
- 3.महिला आरक्षी सोनिया शर्मा





प्रेस नोट - दिनांक 27.12.2024

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।



हत्या के प्रयास के दो आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 25.12.2024 को वादी मुकदमा अरूण राजपूत उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र राजू नि० शराब मील कालोनी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव की तहरीरी सूचना पर थाना कोतवाली पर मु०अ०सं० 980/2024 धारा 109/115(2)/351(3) बीएनएस विरुद्ध 01. कौशल पुत्र रामशंकर निवासी ग्राम बबुरीहा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव 02. गोविन्द पुत्र स्व० अशोक लोहार निवासी आदर्श नगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव 03. अवधेश उर्फ सुरेश पुत्र स्व० रामदयाल निवासी आदर्श नगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव 04. पिन्टू पासी पुत्र गंगाराम नि० शराबमील शेखपुर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव बावत विपक्षी कौशल द्वारा जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर तमंचे से फायर करना एवं अन्य विपक्षीगण द्वारा मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया । जिसमें आज दिनांक 27.12.2024 को कौशल रावत व अवधेश कुमार उर्फ सुरेश उपरोक्त को FCI के पास कबाड़ की दुकान निकट शराबमील के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1-कौशल रावत पुत्र रामशंकर नि० बबुरिहा थाना अचलगंज उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष
- 2-अवधेश कुमार उर्फ सुरेश पुत्र स्व० रामदयाल नि० 244 आदर्श नगर थाना कोतवाली उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

उ०नि० ज्ञान सिंह थाना कोतवाली सदर उन्नाव

हे०का० भाष्कर यादव

का० नपीसुद्दीन खान





प्रेस नोट - दिनांक 27.12.2024

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव ।



युवती को बहला फुसला कर भाग ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर भाग ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 04.11.2024 को थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0339/2024 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 27.12.2024 को उ0नि0 लक्ष्मी नारायण द्विवेदी मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित अपहर्ता को बरामद करते हुए मे वांछित अभियुक्त राजपूत पुत्र रामनाथ उम्र 22 वर्ष निवासी गांव अकबरगंज थाना खैराबाद जनपद सीतापुर को आजाद मार्ग चौराहा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- बब्लू राजपूत पुत्र रामनाथ उम्र 22 वर्ष निवासी गांव अकबरगंज थाना खैराबाद जनपद सीतापुर सम्बन्धित

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 लक्ष्मीनारायण द्विवेदी
2. म0उ0नि0 श्रीदेवी अरूण
3. का0 सचिन कुमार





प्रेस नोट - दिनांक 27.12.2024

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव ।



शातिर चोर गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- थाना स्थानीय पर दिनांक 24.12.24 को वादी श्री विनोद कुमार पुत्र सिद्धलाल कश्यप नि० ग्राम बेथर थाना अचलगंज उन्नाव द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की फल की दुकान से फल व रुपये चोरी किये जाने के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 403/24 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस पंजीकृत कराया था । प्र०नि० श्री राजेश्वर त्रिपाठी मय हमराह पुलिस बल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 27.12.2024 समय सुबह 04.10 बजे ग्राम बलऊखेड़ा फलाईओवर से चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति में संदिग्ध पाये गये व्यक्ति को जरिये त्रिनेत्र एप के माध्यम से चेक किया गया तो ज्ञात हुआ कि अभि० 1. बवाली उर्फ राजेश सोनकर पुत्र जियालाल सोनकर निवासी मोहल्ला पश्चिम टोला थाना पुरवा जनपद उन्नाव हाल पता हड़हा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष अपराधी किस्म का व्यक्ति है जामा तलाशी लेते हुए दिनांक 22/23.12.2024 की रात में कस्बा अचलगंज में फल की दुकान में हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में पूछा गया तो अभि० बवाली उर्फ राजेश उपरोक्त ने स्वयं के द्वारा घटना कारित करना बताया जामा तलाशी से अभियुक्त के पास एक अदद चाकू व एक अदद सब्बल नाजायज व थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित माल मशरूका 310/- रूपया बरामद हुए । अतः अभियुक्त बवाली उर्फ राजेश उपरोक्त सम्बन्धित मु०अ०सं० 403/2024 धारा 305ए, 331(4),317(2),317(4)बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. बवाली उर्फ राजेश सोनकर पुत्र जियालाल सोनकर निवासी मोहल्ला पश्चिम टोला थाना पुरवा जनपद उन्नाव हाल पता हड़हा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 अदद चाकू व 01 अदद सब्बल व माल मशरूका रूपया 310/-

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 – 0288/2019 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना अचलगंज उन्नाव,
2. मु0अ0सं0 – 0292/2019 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना अचलगंज उन्नाव,
3. मु0अ0सं0 – 0293/2019 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना अचलगंज उन्नाव,
4. 0008/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोग बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना अचलगंज उन्नाव,
5. मु0अ0सं0 – 0402/2023 धारा 401 भा0द0वि0 व 3/25, 4/25 आम्स एक्ट थाना पुरवा उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक राजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी
2. का0 प्रवीण चौरसिया
3. का0 अमरजीत

